डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

विद्या-परिषद् की बैठक

दिनॉक: 24.03.2025
दिन: सोमवार
मध्यान्ह: 12.:00 बजे

स्थान: कौटिल्य प्रशासनिक भवन स्थित सभा कक्ष

विद्यापरिषद् की आकस्मिक बैठक का एजेण्डा

दिनॉक 24–03–2025 समय मध्यान्ह् 12:00 बजे,

क0 सं0	प्रस्ताव	पृष्ठ सं0
मद संख्या–1 (i)	राष्ट्रीय शिक्षानीति–2020 के अन्तर्गत स्नातक/चतुर्थ वर्षीय स्नातक एवं स्नातक कार्यक्रम (UG/FYUP and PG Programmes) W.E.F. Session 2025-26) के अनुमोदन पर विचार।	1–19
(ii)	**प्रो0 आनन्द प्रकाश त्रिपाठी**, अध्यक्ष हिन्दी विभाग, डॉ0 हरिसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर, म0प्र0, **प्रो0 सत्य प्रकाश त्रिपाठी**, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, बी0एन0के0बी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बेडकरनगर एवं **डॉ0 असीम त्रिपाठी**, अध्यक्ष, का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या (पुत्रगणों) द्वारा अपने पूज्य पिता **डॉ0 राधिका प्रसाद त्रिपाठी (पूर्व विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, कामता प्रसाद सुन्दरलाल साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या** की पावन सृमित में डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्नातक हिन्दी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को) **दान स्वरुप** स्वर्ण पदक प्रदान किए जाने पर विचार।	20–21

कुलसचिव

डॉ राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ.प्र.)

निर्देशिका (Guidelines)

स्नातक/चतुर्थ वर्षीय स्नातक एवं परास्नातक कार्यक्रम

(UG/FYUP and PG Programmes)

(w.e.f. session 2025-2026)

1. प्रस्तावना (Introduction)

यह निर्देशिका परिपत्र संख्या 2090/सतर-3-2024-09(01)/2023(L4), दिनांक 02 सितंबर, 2024, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ और पूर्ववर्ती दिशा-निर्देशों, जो सत्र 2021-2022 से प्रभावी हैं, तथा पत्र संख्या लो.अ.वि./शैक्षणिक /2025/3601, दिनांक: 04.02.2025 के अनुक्रम मे प्राप्त सुझाओं के आलोक में तैयार की गई है।

यू०जी०सी० द्वारा जारी किये गये Curriculum & Credit Framework for Four Year Undergraduate Programme (FYUP) में 20 Credit प्रति सेमेस्टर का प्रावधान है जबकि उत्तर प्रदेश में शासनादेश संख्या-1567/सतर-3-2021-16(26)/2011 टी.सी., दिनांक 13 जुलाई, 2021 द्वारा लागू NEP-2020 की संरचना में Credits अधिक हैं। शिक्षकों एवं छात्रों की ओर से भी पिछले दो वर्षों में यह महसूस किया जा रहा है कि छात्रों पर Credits का भार ज्यादा है और उसे कुछ कम किया जा सकता है। अतः उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के वर्तमान UG-PG पाठ्यक्रम संरचना में UGC-FYUP के 20 क्रेडिट/सेमेस्टर के प्रावधान को अंगीकृत करते हुए संशोधित तालिकायें तथा उनका विस्तृत विवरण निम्नवत् है :-

2. क्षेत्र (Scope)

2.1 (अ) यह व्यवस्था कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि संकायों में त्रिवर्षीय बहुविषयक स्नातक तथा चार वर्षीय स्नातक (मानद व मानद शोध सहित) यथा बी०ए०, बी०एससी० एवं बी०काम० तथा एकल विषय परास्नातक यथा एम०ए०, एम०एससी०, एम०काम० कार्यक्रमों में लागू होगी।

(ब) त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक, स्नातक (आनर्स), यथा बी०एससी० (माइक्रोबाओलोजी) इत्यादि तथा एकल विषयक/संकाय स्नातक यथा बी०सी०ए०, बी०बी०ए० आदि कार्यक्रमों में भी लागू होगी।

2.2 (अ) त्रिवर्षीय स्नातक स्तर पर विभिन्न विषयों के न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus) पूर्व में ही उपलब्ध करा दिये गये हैं। वह आगे भी लागू रहेंगे।

(ब) चार वर्षीय स्नातक (FYUP) कोर्स का पाठ्यक्रम स्नातक के तीन वर्ष एवं परास्नातक के प्रथम वर्ष को जोड़कर माना जायेगा, पृथक से नये पाठ्यक्रम बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।

2.3 (अ) बहुविषयक त्रिवर्षीय स्नातक, चार वर्षीय स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड), चार वर्षीय स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोध सहित), परास्नातक एवं प्री-पीएच.डी. कोर्स वर्क इत्यादि में विषयों तथा क्रेडिट्स की विस्तृत जानकारी तालिका-1 में दी गई है।

(ब) त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक, स्नातक (आनर्स), यथा बी०एससी० (माइक्रोबाओलोजी) इत्यादि तथा एकल विषयक/संकाय स्नातक यथा बी०सी०ए०, बी०बी०ए० आदि के लिए व्यवस्था तालिका-2 में दी गई है।

2.4 यह सभी व्यवस्थायें 2025-2026 सत्र से लागू होंगी।

2.5 अन्य संकायो अथवा कार्यक्रमों यथा-चिकित्सा, तकनीकी, शिक्षक शिक्षा, कृषि, विधि आदि में नियामक संस्थाओं के नियम लागू होते हैं, उन के लिए व्यवस्था का निर्धारण नियामक संस्थाओं यथा-एम०सी०आई०, ए०आई०सी०टी०ई०, एन०सी०टी०ई०, बी०सी०आई० आदि के एन०ई०पी०-2020 के अनुरूप नए पाठ्यक्रम व संरचना आने पर किया जायेगा।

3. परिभाषाएं-

3.1 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme)

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) डिग्री एवं स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड), पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि यथा-बी०ए०. बी०एससी०, बी०कॉम, बी०एड०, बी०बी०ए०, बी०एल०ई०, एम०ए०, एम०एससी०, एम०कॉम०, एल०एल०बी०, पीएच०डी० इत्यादि।

3.2 संकाय (Faculty)-

3.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा-कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

3.2.2 छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या-1267/सत्तर-3-2021-16(26)/2011. दिनोंक 15.06.2021 के अनुसार होगी।

3.2.3 उक्त शासनादेश में निर्धारित कतिपय संकायों को यू०जी०सी० के सुझाव के अनुसार और अधिक विभाजित किया जा रहा है, जैसे कि

विज्ञान संकाय को गणितीय विज्ञान, जैविक विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान संकाय इत्यादि तथा भाषा संकाय को भारतीय व विदेशी भाषा संकायों इत्यादि में। उक्त के लिए पृथक से शासनादेश जारी किया जायेगा।

3.2.4 कला एवं विज्ञान संकायों में विभाजन को बहुविषयकता के लिये अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री क्रमशः कला संकाय (B.A.) एवं विज्ञान संकाय (B.Sc.) की ही मिलेगी। इसी प्रकार ग्रामीण विज्ञान जो कि कला संकाय से विभाजित हुआ है, में भी कला संकाय (B.A.) की डिग्री मिलेगी।

3.2.5 संकायों में विषयों के वर्गीकरण की यह व्यवस्था मात्र विषय कोडिंग एवं छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने हेतु है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है. वह यथावत् रहेगी। (शासनादेश संख्या-1276/सत्तर-3-2021-16(26)/2011, दिनाँक 16-06-2021)

3.3 विषय (Subject)- यथा

3.3.1. संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि।

3.3.2. एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।

3.4 कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (Course/Paper)-

3.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

3.4.2 थ्योरी, प्रैक्टिकल और शोध परियोजना के पेपर्स / प्रश्नपत्रों का कोड अलग-अलग होगा।

4. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर विषय पेपर

4.1 प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश तीन वर्ष की स्नातक डिग्री हेतु होगा। चौथे वर्ष में विद्यार्थी चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) एवं स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड) डिग्री में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।

4.2 (अ) विश्वविद्यालय इच्छुक संस्थानों (आवासीय परिसर के विभागों/सम्बद्ध महाविद्यालयों) को चार वर्षीय स्नातक (FYUP) की मान्यता/सम्बद्धता नये प्रोग्राम कोर्स के रुप में नियमानुसार प्रदान कर सकते हैं।

(ब) विश्वविद्यालय इच्छुक संस्थानों (आवासीय परिसर के विभागों/सम्बद्ध महाविद्यालयों) के आवेदन करने पर तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय के नियमानुसार चार वर्षीय स्नातक पाठ्यकम (FYUP) में उच्चीकृत

कर सकते हैं। 4.1 एण्ड 4.2 के स्पष्टीकरण हेतु annexure1(B) एवं टेबल 1 देखिए|

4.3 (अ) विद्यार्थी को प्रवेश के समय बी.ए., बी.एस.सी, बी.कॉम आदि में से किसी एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का चयन करना होगा और उसे उस पाठ्यक्रम के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चयन करना होगा। इसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को डिग्री मिलेगी। पाठ्यक्रम के चयनित विषयों का अध्ययन वह तीन/चार वर्ष (प्रथम से छठे/अष्ट्म सेमेस्टर) तक कर सकता है।

(ब) चार वर्षीय स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोध सहित) डिग्री के लिए चतुर्थ वर्ष में विद्यार्थी उपरोक्त दो मेजर विषयों में से किसी एक विषय (जिसका अध्ययन विद्यार्थी ने अनिवार्य रुप से पूर्व के तीन वर्षों/छः सेमेस्टर में किया है) का चयन करेगा तथा सप्तम व अष्टम् सेमेस्टर्स में भी उसी विषय को पढ़ेगा।

(स) तीन वर्षीय स्नातक के पश्चात विद्यार्थी किसी नये विषय में परास्नातक में प्रवेश ले सकता है (जिसमें Pre-requisite के अनुसार वह अर्ह है), परन्तु एक वर्ष की परास्नातक/चतुर्थ वर्ष की पढ़ाई के बाद उसे कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा नहीं मिलेगा। दो वर्ष पूर्ण एवं उत्तीर्ण करने पर ही उसे उस विषय में परास्नातक की डिग्री मिलेगी।

(द) त्रिवर्षीय स्नातक के अध्ययन के पश्चात चार वर्षीय डिग्री के लिए भी विद्यार्थी को उस विषय में परास्नातक में नया प्रवेश लेना होगा जो कि विश्वविद्यालय में प्रचलित प्रवेश प्रक्रिया के अनुरूप परास्नातक की उपलब्ध सीटों पर किया जायेगा।

4.4 विद्यार्थी द्वारा तीसरे गौण (माइनर) विषय का चयन बहुविषयकता के लिए किसी भी अपने/अन्य संकाय से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सीट उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

4.5 पाठ्यक्रम के दो मुख्य (मेजर) विषयों तथा तीसरे गौण (माइनर) विषय का चयन सत्र 2021-2022 से क्रियान्वित पूर्व की निर्देशिका के बिन्दु संख्या 8.01 से 8.04 के अनुसार किया जाएगा। इसमें मात्र अधिकतम 3 मुख्य (मेजर) विषयों के स्थान पर दो मुख्य (मेजर) विषयों को प्रतिस्थापित माना जाएगा जिसे लगातार तीन वर्षों तक पढ़ा जाना है|

4.6 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय परिवर्तित कर सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है परंतु शिक्षण की दृष्टि से यदि महाविद्यालय अपने संसाधन उपलब्धता से संतुष्ट है।

4.7 विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता एवं prerequisite के आधार पर नियमानुतार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।

4.8 तीसरे गौण (Minor) विषय का कोर्स किसी भी विषय का इलेक्टिव पेपर/पेपर (6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय।

4.9 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकाय/विषय के छात्रों के लिये माइनर इलैक्टिव पेपर/पेपर (6 क्रेडिट का) तैयार कर सकते हैं। ऐसे माइनर इलैक्टिव कोर्स/पेपर का पाठ्यक्रम संबंधित विषय संयोजक के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज, विद्वत परिषद् इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा। इस प्रकार के इलैक्टिव पेपर की कक्षायें विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में अलग से होगी तथा परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होंगी।

4.10 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय माइनर पेपर/स्किल कोर्स के लिये स्वयम् (SWAYAM) पोर्टल एवं अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों की वेबसाइट पर उपलब्ध कोर्स की सूची बनाकर संस्तुत कर सकते हैं। उक्तानुसार संस्तुत कोर्स का अध्ययन विद्यार्थी स्वयम् (SWAYAM) एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों की वेबसाइट से निःशुल्क कर सकते हैं तथा विश्वविद्यालय इन कोरसेस की परीक्षा माइनर पेपर के साथ करायेगा।

इलेक्टिव/कोर/माइनर/वैल्यू एडेड कोरसेस को स्वयम् (SWAYAM) से चयन करने हेतु कृपया संबंधित पॉलिसी annexure 1(C) को देखिए|

4.11 यदि विद्यार्थी उक्त कोर्सेज को स्वयम् (SWAYAM) अथवा अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों से परीक्षा देकर उत्तीर्ण करता है, तो वह इसका सर्टीफिकेट अपने महाविद्यालय / विश्वविद्यालय में जमा करेगा। माइनर पेपर्स के लिये अधिकतम 12 क्रेडिट तथा स्किल कोर्स के लिये अधिकतम 9 क्रेडिट मान्य होंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ग्रेड प्वाइन्ट्स इन्हीं क्रेडिट को दिये जायेंगे तथा SGPA/CGPA की गणना की जायेगी।

4.12 एन०सी०सी० को शासनादेश संख्या-1815/सतर-3-2021-16(26)/2011, दिनांक 09.08.2021 में वर्णित व्यवस्थानुसार माइनर विषय के क्रेडिट प्रदान किये जा सकते हैं। संबंधित माइनर का प्रावधान पाठ्यक्रम समिति द्वारा की जाएगी|

5. कौशल विकास कोर्स (Vocational/Skill development Courses)

5.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (प्रथम तीन सेनेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स (3x3=9 ब्रेडिट के कुल तीन पाठ्यक्रम) करना अनिवार्य होगा।

5.2 उक्तं कौशल विकास कोर्स पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-1969/ सार-3-2021, दिनांक 18 अगस्त, 2021 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संचालित किये जाएं जैसा की पूर्व की निर्देशिका के अनुसार संचालित है।

5.3 यदि विद्यार्थी यू०जी०सी०/PMKVY 4.0/ केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से तीन या उससे अधिक क्रेडिट का कोई ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन कौशल विकास कोर्स करता है. तो उसे उतने ही क्रेडिट प्रदान कर दिए जायेंगे। स्नातक के लिए कुल 9 क्रेडिट अर्जित करना आवश्यक है। विद्यार्थी अधिकतम् 9 क्रेडिट (एक साथ अलग-अलग) को कम अथवा अधिक समय में पूरे कर सकते हैं।

6. सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स (Co-Curricular Courses)

6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में दो क्रेडिट का एक सह-पाठ्यचर्या पाठ्यकम/कोर्स करना अनिवार्य होगा अर्थात कुल 8 क्रेडिट (4 कोर्स से) अर्जित करने होंगे।

6.2 इन सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रमों/कोर्सेज की 75 अंक की परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र के माध्यम से करायी जायेगी तथा 25 अंक आंतरिक असेस्मेंट के लिए होगा। दो अंकों को मिलाकर इनमें उत्तीर्ण प्रतिशत बहीं होगा जो मुख्य व माइनर विषय के पेपर्स में होगा तथा इनमें प्राप्त ग्रेड्स को सी०जी०पी०ए० की गणना में सम्मिलित किया जायेगा।

6.3 प्रथम सेमेस्टर में प्राथनिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First aid and Basic Health), द्वितीय सेमेस्टर में मानवीय मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environment studies), तृतीय सेमेस्टर में शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga) का अध्ययन किया जायेगा, जिनके पाठ्यक्रम पूर्व से संचालित हैं।

6.4 सभी विषय संयोजक चतुर्थ सेमेस्टर में एक भारतीय / स्थानीय भाषा तथा यू०जी०सी० द्वारा बनाये गये "सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता (Social Responsibility and Community Engagement) पाठ्यक्रम का अनिवार्य रूप प्रावधान करेंगे जिससे इसे चलाया जा सके। भारतीय भाषा को मुख्य विषय के रुप में लेने वाले विद्यार्थी "सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता

पाठ्यक्रम" का अध्ययन करेंगे तथा अन्य विद्यार्थी भारतीय/स्थानीय भाषा का अध्ययन करेंगे, जिसका पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा स्थानीय भाषा के दृष्टिगत पाठ्यक्रम समिति के माध्यम से तैयार किया जायेगा

7. शोध परियोजना (Research Project)

7.1 स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में विद्यार्थी अपने द्वारा चयनित दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से संबंधित तीन क्रेडिट की एक शोध परियोजना करेगा।

7.2 स्नातक चतुर्थ वर्ष अथवा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टर्स में विद्यार्थी चार-चार क्रेडिट के दो कोर्स के स्थान पर एक शोध परियोजना ले सकता है। यह शोध परियोजना एक सप्तम एवं एक अष्टम सेमेस्टर के थ्योरी कोर्स के स्थान पर लेनी होंगी ना कि किसी एक सेमेस्टर के दो कोर्स के स्थान पर। स्नातक चतुर्थ वर्ष में शोध सहित उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को स्नातक (मानद शोध सहित) की उपाधि दी जाएगी।

7.3 स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष (उच्च् शिक्षा का पंचम वर्ष) में अनिवार्य रूप से एक शोध परियोजना करनी होगी जो कि नवम एवं दशम सेमेस्टर में चार-चार क्रेडिट्स की होगी।

7.4 पी.जी.डी.आर. में चार क्रेडिट की शोध परियोजना का स्वरुप विश्वविद्यालय अपने प्री-पी.एच.डी. कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेंगे। स्नातक (मानद शोध सहित) उपाधि प्राप्तकर्ता परास्नातक पूर्ण किये बिना भी पी०एच०डी० की प्रवेश प्रक्रिया जैसे प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार इत्यादि के लिए अर्ह होगा।

7.5 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में पूर्ण की जायेगी। यदि विश्वविद्यालय के विभाग/महाविद्यालय सहमत हो तो सुपरवाईजर के रुप में एक अन्य विशेषज्ञ को किसी उद्योग/ कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध/शिक्षण संस्थान से लिया जा सकता है।

7.6 यह शोध परियोजना इन्टरडिस्पलनरी/मल्टीडिस्पलनरी भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।

7.7 विद्यार्थी स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के पश्चात की गई शोध परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने विश्वविद्यालय के विभाग/महाविद्यालय में जमा करेगा।

7.8 स्नातक (मानद शोध सहित)/स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना की रिपोर्ट/शोध-प्रबन्ध

(Report/Dissertation) अपने विश्वविद्यालय के विभाग/महाविद्यालय में जमा करेगा।

7.9 पी.जी.डी.आर. स्तर पर विद्यार्थी प्री-पी-एच.डी. कोर्स वर्क के पश्चात की गई शोध परियोजना की रिपोर्ट/शोध-प्रबन्ध (Report/Dissertation) अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा।

7.10 बिन्दु 7.1 के अतिरिक्त उपरोक्त सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रम शोध परियोजनाओं का मूल्यॉकन सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक (पाठ्यक्रम समिति के माध्यम से नियुक्त) द्वारा संयुक्त रुप से 100 (75 शोध प्रबंध +25 शोध पत्र) अंकों में से किया जायेगा। विद्यार्थी अपनी इस शोध परियोजना में से पेटेन्ट प्रकाशन अथवा शोध पत्र (UGC-CARE listed/peer review ed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) स्नातकोत्तर कार्यक्रम के दौरान प्रकाशित करवायेगा। 25 अंक मे से पेटेन्ट अथवा शोध पत्र (UGC-CARE listed/ peer reviewed)) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) पर ही देय होंगे। पेटेन्ट अथवा शोध पत्र (UGC-CARE listed/ peer reviewed)) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) न होने पर प्राप्तांक अधिकतम् 75 अंक ही देय होंगे। पूर्णांक अधिकतम 100 ही होंगे। दो राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार / संगोष्ठी में पेपर प्रजेंन्ट करने पर भी 25 मे से अंक देय होंगे। पेटेन्ट/शोध पत्र/बुक चैप्टर का प्रकाशन सुपरवाईजर तथा कई विद्यार्थियों द्वारा संयुक्त रुप से कराने पर भी मान्य होगा।

7.11 स्नातक, स्नातक (मानद शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी.जी.डी.आर. के विद्यार्थियों की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मलित किया जायेगा।

8. क्रेडिट एंव क्रेडिट निर्धारण

8.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।

8.2 प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप / फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा, अर्थात् प्रैक्टिकल के दो घंटे का कार्य एक घंटे का वर्कलोड माना जायेगा।

8.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट' (ABC/ABACUS) के माध्यम से किये जायेगे।

8.4 विद्यार्थी न्यूनतम 40 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 80 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 120 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी न्यूनतम 160 क्रेडिट अर्पित करने पर चार वर्षीय स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) अथवा स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिङ) डिग्री, न्यूनतम 200 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 216 क्रेडिट अर्जित करने पर पीजीडी आर की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं।

त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री के पश्चात् विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में संसाधन की उपलब्धता होने पर विद्यार्थी एक वर्ष की 40 क्रेडिट की इंटर्नशिप NATS या समकक्ष/समतुल्य से कर सकता है। यह इंटर्नशिप विद्यार्थी 6 माह के दो अथवा 4 माह के तीन अथवा 3 माह के बार भागों में भी कर सकता है। यह इंटर्नशिप विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के मार्गदर्शन में सहयोगी संस्था/इन्डस्ट्री से की जायेगी। 40 केडिट (1200 घण्टों) की इस इंटर्नशिप के पश्चात् विद्यार्थी को स्नातक (इंटर्नशिप/एप्रेन्टिसतिप सहित) की उपाधि दी जायेगी।

8.5 एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 40 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (surrender) कर 40 क्रेडिट को खाते में री-क्रेडिट (re-credit) करेगा। यदि विद्यार्थी री-क्रेडिट (re-credit) नहीं करता है तो, नए 40 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 80 (40+40) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो यह 120 क्रेडिट के आधार पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकता है।

Multiple Entry and Multiple Exit से संबंधित पॉलिसी हेतु कृपया annexure 1(A) को देखिए|

8.6 यदि कोई योग्य छात्र (Fast learner) कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट (ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन) प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त

करने पर डिग्री दो वर्ष बाद ही मिल जायेगी। विभागाध्यक्ष/प्राचार्य के माध्यम से कुलसचिव को प्राप्त आवेदन पर विश्वविद्यालय अपने सक्षम विधिक निकायों/समितियों के माध्यम से नियमों को अनुमोदित करायेगा।

8.7 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

8.8 तीन वर्ष में विद्यार्थी जिस संकाय के दो मुख्य विषयों में न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी और विश्वविद्यालय नियमानुसार स्नातकोतर में प्रवेश की सुविधा होगी।

जैसे यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, दो मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट (88 का 60 प्रतिशत अर्थात 53 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल ऐजूकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोतर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के Prerequisite की आवश्यकता नहीं होगी।

8.9 यदि कोई योग्य छात्र सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट री-क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और यह आगामी परीक्षा में अनुतीर्ण हो जाता है, तो वह री-क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

8.10 विद्यार्थी निकास के समय आवश्यक कुल क्रेडिट के अधिकतम 40 प्रतिशत तक (As per UGC/NEP guidelines) क्रेडिट आनलाइन शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

9. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

9.1 क्रेडिट वैलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।

9.2 परीक्षा देने के लिये पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

9.3 यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुन कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

10. प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय-सारणी (Time table)

10.1 यह सुनिश्चित करना होगा की सभी उच्च शिक्षण संस्थान/महाविद्यालय प्रवेश आरम्भ होने से पूर्व ही अपनी समय-सारणी (Time table) तैयार कर लें, जिससे विद्यार्थी प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का चयन कर सकें

जिनकी कक्षायें अलग समय पर संचालित होती हों ताकि उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो।

10.2 सभी शिक्षण संस्थान इस प्रकार से समय-सारणी (Time table) तैयार करें जिससे कि विद्यार्थियों को अन्य संकाय के विषयों के चयन के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हो सकें।

11. ग्रेडिंग प्रणाली

11.1 शासनादेश संख्या-1032/सत्तर-3-2022-08(35)/2020, दिनांक 20 अप्रैल, 2022 में दिए गए प्रावधानों तथा सत्र 2021-2022 से क्रियान्वित निर्देशिका के अनुसार स्नातक स्तर पर ग्रेडिंग प्रणाली को संचालित किया जाएगा।

11.2 स्नातकोतर स्तर पर ग्रेडिंग प्रणाली सत्र 2022-2023 से क्रियान्वित पूर्व की निर्देशिका के अनुसार संचालित किया जाएगा।

12. सतत आंतरिक एवं विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यॉकन

12.1 सतत आंतरिक मूल्यॉकन का उद्देश्य केवल आंतरिक परीक्षा नहीं है, अपितु विद्यार्थी का सर्वांगीण मूल्यॉकन करना है। एन०ई०पी०-2020 के अनुसार सभी विद्यार्थियों का सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) कराया जाना है, जिसे शिक्षक, शिक्षण कार्य के साथ पूर्ण करेंगे।

12.2 मुख्य व माईनर विषयों के केवल थ्योरी पेपर्स में 25 अंक का सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) अनिवार्य होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा 75 अंको की परीक्षा करायी जायेगी। प्रयोगात्मक, वोकेशनल/स्किल, को-करीकुलर तथा शोध परियोजना के कोर्सेज में सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) शासनादेश संख्या-1969/ सत्तर-3-2021, दिनांक 18.08.2021 एवं सत्र 2021-2022 से क्रियान्वित पूर्व की निर्देशिका के अनुसार किया जायेगा।

Uttar Pradesh NEP-2020 UG-PG course structure aligned with FYUGP of UGC
Table 1: (To be in effect from 2025-26 session)

{Commulative Minimum Credits} Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree			Subject I	Subject II	Subject III	Vocational Skill Enhancement Course (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability/ Enhancement Courses (AEC)	Research Project/ Dissertation/ Internship/ Field or survey work	{Minimum Credits} For the year
			Major (Core)	Major (Core)	Minor Multidisciplinary	Minor	Minor	Major	
			4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/4 Credits	
	Year	Sem	Own Faculty	Own Faculty	Own/Other Faculty	Vocational Skill Enhancement Course (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability/ Enhancement Courses (AEC)	Inter/Intra Faculty related to main Subject	
{40} Certificate in Faculty	1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1 (3)	1 (2)		
{40+40=80} Diploma in Faculty	2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)			1 (2)	1 (3) Point 7.1	
{80+40=120} 3-year UG Degree	3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)					40
		VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)					
Fourth Year									
*Apprenticeship/Internship embedded UG degree programme	4	12 Months Apprenticeship/ Internship through NATS or from equivalent organization/ Industry/Institute				1 (40) 1200 hours			40
OR									
{120+40=160} 4-year UG Degree (Honours)	4	VII	Th-5(4) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						40
		VIII	Th-5(4) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						
OR									
{120+40=160} 4-year UG Degree (Honours with Research)	4	VII	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)		Students who secure 75% marks in the first 6 semesters			1 (4)	40
		VIII	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	
200 Master in	5	IX	Th-4(4) or Th-3(4)+					1 (4)	40

Faculty			Pract-1(4)						
		X	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	
{216} PGDR in Subject	6	XI	Th-4(2)	1(4) Research Methodology				1 (4)	16
Ph.D. in Subject	6,7,8	XII-XVI						Ph.D. Thesis	

***Apprenticeship/Internship embedded degree programme degree holder has to do 2 year PG programme. It is purely optional for Universities, to run and give this degree.**

3 year Honors/Single subject programme structure
Table 2: (To be in effect from 2025 -26 session)

{Commulative Minimum Credits} Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree			Subject I	Subject II	Subject III	Vocational Skill Enhancement Course (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability/ Enhancement Courses (AEC)	Research Project/ Dissertation/ Internship/ Field or survey work	**{Minimum Credits}** For the year
			Major (Core)	Major (Core)	Minor Multidisciplinary	Minor	Minor	Major	
			4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/4 Credits	
	Year	Sem	Own Faculty	Own Faculty	Own/Other Faculty	Vocational Skill Enhancement Course (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability/ Enhancement Courses (AEC)	Inter/Intra Faculty related to main Subject	
{40} Certificate in Faculty	1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1 (3)	1 (2)		
{40+40=80} Diploma in Faculty	2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)			1 (2)	1 (3) Point 7.1	
{80+40=120} 3-year UG Degree	3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)					40
		VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)					
Fourth Year									
*Apprenticeship/Internship embedded UG degree programme	4	12 Months Apprenticeship/ Internship through NATS or from equivalent organization/ Industry/Institute				1 (40) 1200 hours			40
OR									
{120+40=160} 4-year UG	4	VII	Th-5(4) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						40

Degree (Honours)		VIII	Th-5(4) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						
OR									
(120+40=160) 4-year UG Degree (Honours with Research)	4	VII	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)		Students who secure 75% marks in the first 6 semesters			1 (4)	40
		VIII	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	
200 Master in Faculty	5	IX	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	40
		X	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	
(216) PGDR in Subject	6	XI	Th-4(2)	1(4) Research Methodology				1 (4)	16
Ph.D. in Subject	6,7,8	XII-XVI						Ph.D. Thesis	

*Single subject 3 years UG programme examples: BBA, BCA, BHM, BSc (Chemistry), BSc, Chemistry (Hnours), Etc.

*After both the above programmes (3 years plain or Honours degree), one has to pursue 4th/ 5th years of UG/PG programmes as given in the Table 1, in the same manner as the one who completes, 3 years UG degree of Table 1.

Annexure-1

1(A) मल्टीप्ल एंट्री और एग्जिट पॉलिसी क्रियान्वयन के नियम

एंट्री पॉलिसी

एंट्री पॉलिसी संबंधी क्रियान्वयन नियम निम्नवत होंगे |

- ❖ अपने स्वयं के विश्वविद्यालय मे एंट्री (प्रवेश) या मल्टीपल एंट्री हेतु विद्यार्थी द्वारा अपना प्रार्थना पत्र विश्वविद्यालय के कुलसचिव को दिया जाएगा| कुलसचिव द्वारा प्रार्थना पत्र को संबंधित विभागाध्यक्ष/प्राचार्य को संदर्भित किया जाएगा, जिनके द्वारा नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करायी जाएगी| अपने स्वयं के विश्वविद्यालय मे मल्टीपल एंट्री हेतु किसी प्रकार की समतुल्य समिति नहीं होगी|
- ❖ विद्यार्थी जिस विश्वविद्यालय को छोड़कर प्रवेश के लिए आ रहा है उस विश्वविद्यालय को पेरैंट् विश्वविद्यालय तथा जिस विश्वविद्यालय में वह प्रवेश चाहता है उस विश्वविद्यालय को होस्ट विश्वविद्यालय के रूप में यहाँ पर संदर्भित किया जाएगा | इस प्रकार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को एंट्री हेतु एक होस्ट विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाएगा|
- ❖ होस्ट विश्वविद्यालय में विद्यार्थी को स्नातक स्तर पर दूसरे, तीसरे एवं चतुर्थ वर्ष में में एंट्री अनुमन्य होगी |
- ❖ सर्वप्रथम विद्यार्थी को अपने पेरैंट् विश्वविद्यालय से एक वर्षीय सर्टिफिकेट/दो वर्षीय डिप्लोमा/तीन वर्षीय डिग्री का प्रमाण पत्र के साथ पेरैंट् विश्वविद्यालय के कुल सचिव का अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम का सिलेबस जो विद्यार्थी से संबंधित होगा, होस्ट विश्वविद्यालय के कुल सचिव कार्यालय में जमा करना होगा|
- ❖ कुल सचिव द्वारा माननीय कुलपति जी के अनुमोदन से एक समतुल्य समिति का गठन करवाया जाएगा, जो निम्न प्रकार से होगी |

1.	संबंधित संकायाध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	संबंधित विभागाध्यक्ष	सदस्य
3.	एकेडमिक अनुभाग के उप कुल सचिव/सहायक कुल सचिव	सदस्य सचिव

- उपरोक्त समिति द्वारा होस्ट विश्वविद्यालय एवं पेरेंट् विश्वविद्यालय के सिलेबस का गहन परीक्षण किया जाएगा तथा समिति द्वारा अपनी संस्तुति कुलसचिव को प्रेषित की जाएगी|
- यदि दोनों विश्वविद्यालयों के सिलेबस में लगभग 70 % की समरूपता पाई जाती है तो विद्यार्थी को होस्ट विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अर्ह माना जाएगा | उपरोक्त समिति की संस्तुति मे दोनों विश्वविद्यालयों के सिलेबस में समरूपता के प्रतिशत का उल्लेख करना आवश्यक होगा |
- प्रवेश की स्थिति में कुलसचिव माननीय कुलपति जी के अनुमोदन के पश्चात प्रवेश हेतु संबंधित विद्यार्थी के प्रकरण को संबंधित विभागाध्यक्ष को संदर्भित करेंगे |
- तदुपरांत संबंधित विभागाध्यक्ष ईडीपी के माध्यम से उसका प्रवेश सुनिश्चित कराएंगे |
- प्रवेश हो जाने के पश्चात परीक्षा नियंत्रक द्वारा पैरेंट विश्वविद्यालय से आए हुए विद्यार्थी का उसके अपार आईडी में क्रेडिट ट्रांसफर सुनिश्चित कराया जाएगा और जिसकी सूचना परीक्षा नियंत्रक द्वारा पेरेंट्स विश्वविद्यालय को भी प्रेषित की जाएगी जिससे उसके क्रेडिट को उसके अपार आईडी से इग्ज़ॉस्ट किया जा सके|
- द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में होस्ट विश्वविद्यालय में एंट्री सीट की उपलब्धता के आधार पर होगी|
- प्रारंभ में यह व्यवस्था ऑफलाइन सुनिश्चित की जाएगी तदोपरांत ऑनलाइन व्यवस्था भी प्रचलित की जाएगी |

<u>एग्जिट पॉलिसी</u>

एक्जिट पॉलिसी संबंधी क्रियान्वयन नियम निम्नवत होंगे |

- महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर के विद्यार्थी प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष के पश्चात अपने पाठ्यक्रम/कार्यक्रम से एग्जिट कर सकते हैं|
- संबंधित विद्यार्थी जो एग्जिट करना चाहते हैं विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष/महाविद्यालय के प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र अपने पाठ्यक्रम का विस्तृत उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करेंगे |

- संबंधित विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष/महाविद्यालय के प्राचार्य विद्यार्थी के प्रार्थना पत्र को अपनी अनुशंसा के साथ विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में प्रेषित करेंगे |
- तत्संबंधी विद्यार्थी के प्रार्थना पत्र पर परीक्षा नियंत्रक ईडीपी के माध्यम से उसके प्रमाण पत्र को तैयार करवाकर प्रदान करायेगें तथा उसके अर्जित किए गए क्रेडिट को उसके अपार आईडी से एग्जास्ट करवाना सुनिश्चित करेंगे|

1(B) <u>चतुर्थ वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP) के संचालन संबंधी नियम</u>

चतुर्थ वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP) के संचालन संबंधी नियम निम्नवत है|

- प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश तीन वर्ष की स्नातक डिग्री हेतु होगा और चौथे वर्ष मे प्रवेश परास्नातक के प्रथम वर्ष मे होगा। चौथे वर्ष में विद्यार्थी चार वर्ष की स्नातक(मानद), स्नातक(शोध के साथ मानद), स्नातक(अप्रेन्टस्शिप एंबेडेड) मे से किसी एक का चयन कर सकता है| यह व्यवस्था वहीं संचालित की जाएगी जहां स्नातक तथा परास्नातक कार्यक्रम संचालित है| विस्तृत जानकारी हेतु टेबल 1 देखिए |
- विश्वविद्यालय, इच्छुक आवासीय परिसर के विभागों/महाविद्यालयों को चार वर्षीय स्नातक (FYUP) की मान्यता / सम्बद्धता नये प्रोग्राम के रुप में विधि सम्मत प्रक्रिया(सक्षम निकायों का अनुमोदन) का पालन करने के पश्चात नियमानुसार प्रदान कर सकता है।
- चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP) का पाठ्यक्रम स्नातक के तीन वर्ष एवं परास्नातक के प्रथम वर्ष को जोड़कर माना जायेगा, पृथक से नये पाठ्यक्रम बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP) की व्यवस्था वहीं संचालित की जाएगी जहां स्नातक तथा परास्नातक उस विषय मे दोनों कार्यक्रम संचालित है|
- विश्वविद्यालय, इच्छुक आवासीय परिसर के विभागों/महाविद्यालयों के आवेदन करने पर तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय के नियमानुसार चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक (FYUP) में उच्चीकृत कर सकते हैं। भौतिक संसाधन तथा

शिक्षक अनुमोदन इत्यादि की शर्तें नियमानुसार पूर्ण करने तथा तदनुसार भौतिक रूप से स्थलीय सत्यापन के पश्चात विश्वविद्यालय के प्रचलित मान्यता /संबद्धता के नियमों के आलोक मे ही विचार किया जाएगा|

1(C) स्वयं (SWAYAM) पालिसी क्रियान्वयन के नियम

स्वयं नीति कार्यान्वयन के नियम इस प्रकार हैं।

- ❖ स्वयं पोर्टल से सत्रवार (वर्ष में दो बार जुलाई एवं जनवरी से प्रारम्भ होने वाले सत्र) विषयों का चयन समबंधित विभागों / विभागाध्यक्षों द्वारा किया जायेगा।
- ❖ चयनित विषयों विभागवार / संकायवार तथा उसके कंटेंट्स एवं क्रेडिट/सप्ताह को सम्बन्धित विषय के पाठ्यक्रम समिति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।
- ❖ सम्बन्धित विभाग के शिक्षकों के मार्गदर्शन में विद्यार्थीगण अपने कोर कोर्स/इलेक्टिव माइनर/वैल्यू एडेड कोर्स का चयन करेंगे जिसका अध्ययन जिसका अध्ययन स्वयं पोर्टल के माध्यम से करेंगे।
- ❖ विद्यार्थियों का स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन फ्री होगा।
- ❖ स्वयं पोर्टल के माध्यम से अध्ययन के पश्चात विद्यार्थियों के पास परीक्षा देने के दो विकल्प होंगे।
- ❖ प्रथम, यदि वो चाहता है तो स्वयं (स्वयं) द्वारा आयोजित प्रॉक्टर्ड एग्जाम दे सकता है जहां उसे सर्टिफिकेट सम्बन्धित आईआईटी, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और तथा स्किल इंडिया की तरफ से प्रदान किया जायेगा। इस परीक्षा हेतु सामान्य विद्यार्थियों को रु 750 तथा ओ.बी.सी./एस.सी विद्यार्थियों के लिए माह रू० 500 परीक्षा शुल्क देना होगा।
- ❖ द्वितीय, यदि उक्त परीक्षा नहीं देना चाहता है तो उसकी परीक्षा निः शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा करायी जायेगी जिस हेतु उसे किसी प्रकार की फीस देय नहीं होगी।
- ❖ प्रॉक्टर्ड एग्जाम में उत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी अपना सर्टिफिकेट महाविद्यालय / विश्वविद्यालय परिसर के विभाग में जमा करेगा जिसे सम्बन्धित प्राचार्य / विभागाध्यक्ष द्वारा परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में प्रेषित किया जाएगा जिससे उनके मार्कशीट / अपार आईडी में क्रेडिट ट्रान्सफर किया जा सके।

- विश्वविद्यालय की परीक्षा में संबंधित कोर्स में उत्तीर्ण होने पर कोर्स के सापेक्ष क्रेडिट विद्यार्थी के मार्कशीट / अपार आई.डी. में विश्वविद्यालय द्वारा उतना क्रेडिट ट्रान्सफर किया जायेगा।
- विद्यार्थियों द्वारा अपने कार्यक्रम के सापेक्ष अधिकतम 40% क्रेडिट ही स्वंय (स्वयं) के माध्यम अर्जित किया जा सकता है।
- विभाग वार विषयों की सूची विश्वविद्यालय के वेब साइट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रो आशुतोष सिन्हा
संकायाध्यक्ष, कला/मानविकी

प्रो संत शरण मिश्र
संकायाध्यक्ष,विज्ञान

प्रो हिमांशु शेखर सिंह
संकायाध्यक्ष, वाणिज्य एव प्रबंधन

प्रो गंगा राम मिश्र
विभागाध्यक्ष, भौतिक/एलेक्ट्रॉनिक्स

उमा नाथ
परीक्षा नियंत्रक

रवि मालवीय
प्रोग्रामर

डॉ.रा.लो.अ.वि.वि.
अयोध्या
पत्रांक:लो0अ0वि0 / शैक्ष0
................/2025
दिनॉक: 2025

टिप्पणी एवं आदेश

उप–कुलसचिव / कुलसचिव / मा0 कुलपति महोदया

कृपया अवगत कराना है कि **प्रो0 आनन्दप्रकाश त्रिपाठी**, अध्यक्ष हिन्दी विभाग, डॉ0 हरिसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर, **प्रो0 सत्यप्रकाश त्रिपाठी**, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, बी0एन0के0बी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बेडकरनगर एवं डॉ0 असीम त्रिपाठी, अध्यक्ष, का0सु0साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या (पुत्रगणों) के पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, अपने अपने पूज्य पिता **डॉ0 राधिकाप्रसाद त्रिपाठी (पूर्व विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, कामता प्रसाद सुन्दरलाल साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या** की पावन सृमित में डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्नातक हिन्दी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र / छात्रा को) दान स्वरुप स्वर्ण पदक प्रदान करने के सम्बन्ध में हैं।

प्रो0 आनन्दप्रकाश त्रिपाठी, प्रो0 सत्यप्रकाश त्रिपाठी एवं डॉ0 असीम त्रिपाठी (पुत्रगणों) ने अपने प्रार्थना–पत्र द्वारा सूचित किया है कि मेरे पति स्व0 डॉ0 राधिकाप्रसाद त्रिपाठी (पूर्व विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, कामता प्रसाद सुन्दरलाल साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या में कार्यरत थे उनके स्वर्गवास के उपरान्त उनके नाम से निर्धारित शुल्क के साथ दान स्वरुप स्वर्ण पदक दान देना चाहते हैं।

उक्त के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि विद्यापरिषद् एवं कार्यपरिषद् के आनुमोदनोपरान्त दान स्वरुप स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित शुल्क जमा कराया जाता है।

अतः टिप्पणी अवलोकनार्थ एवं विषयगत प्रकरण को विद्यापरिषद् एवं कार्यपरिषद् के आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत है।

कृपया आदेशार्थ।

12.03.25
कृतिका निषाद
कम्प्यूटर ऑपरेटर

17.3.25
DR.
D.R.

कृपया आदेशार्थ।
17.3.25
कुलसचिव

22/3/25
कुलपति

उप कुलसचिव (शैक्ष.)
कुलसचिव

डॉ0राममनोहर लोहिया
अवध विश्वविद्यालय,
अयोध्या।

19.07.2024

प्रतिष्ठा में,

माननीय कुलपति/कुलसचिव
डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
अयोध्या – उ०प्र०

कुलसचिव कार्यालय
पत्रांक 930
20/07/24

विषय–राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों में स्नातक–हिंदी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को "डॉ० राधिकाप्रसाद त्रिपाठी स्मृति स्वर्ण पदक" प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र।

सम्माननीय महोदया,

विनम्र निवेदन है कि हम अपने पूज्यपिता डॉ० राधिकाप्रसाद त्रिपाठी (पूर्व विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, कामता प्रसाद सुन्दरलाल साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या) की पावन स्मृति में डा० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या और उससे सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों में स्नातक हिंदी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को स्वर्ण पदक प्रदान करना चाहते हैं।

अतः आपसे प्रार्थना है कि हमें ऐसा करने की अनुमति प्रदान करें और उक्त हेतु आवश्यक धनराशि एवं आगे की प्रक्रिया से अवगत कराने की कृपा करें। एतदर्थ हम आपके आभारी रहेंगे।

For n/a Registrar
19/7/24
कुलपति

DR (Acad)

~~परीक्षा नियंत्रक~~

20.7.24
कुलसचिव

सादर,

भवदीय,

19.7.24

1– (प्रो० आनन्दप्रकाश त्रिपाठी)
अध्यक्ष, हिन्दी एवं संस्कृत विभाग
डॉ० हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सागर, म०प्र०

2– (प्रो० सत्यप्रकाश त्रिपाठी)
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
बी०एन०के०बी० स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अम्बेडकर नगर, उ०प्र०

19.7.24

3– (डॉ० असीम त्रिपाठी)
अध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग
का० सु० साकेत स्नात० महाविद्यालय
अयोध्या, उ०प्र०

(पुत्र गण)

मो0नं0– 9554338725
9554338555
9415917908

डॉ राधिकाप्रसाद त्रिपाठी: एक प्रातिभ व्यक्तित्व

संत साहित्य के अध्येता एवं अनुसंधाता के रूप में चर्चित एवं प्रतिष्ठित **डॉ० राधिकाप्रसाद त्रिपाठी** ने कामताप्रसाद सुन्दरलाल साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या में लगभग चालीस वर्षों तक अध्यापन कार्य किया और दो दशक से अधिक समय तक हिंदी विभागाध्यक्ष रहे। अपने चुंबकीय व्यक्तित्व एवं महत्त्वपूर्ण कृतित्व एवं शोध लेखन के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ और अन्य महत्त्वपूर्ण साहित्यिक संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत और सम्मानित किया गया। वे एक श्रेष्ठ अध्यापक, ओजस्वी वक्ता, कुशल संगठक और उच्च कोटि के विद्वान थे। लेखन के क्षेत्र में उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। अपनी प्रखर मेधा, गम्भीर शोध अध्ययन की प्रवृत्ति, मानवीय चेतना, मूल्य दृष्टि और समाज हित–चिन्तन के बूते वे साहित्य की आधुनिक परिप्रेक्ष्य में व्याख्या किया करते थे। रचनात्मक समीक्षा के हिमायती डा त्रिपाठी के लिखे सैकड़ों निबंध पत्र–पत्रिकाओं तथा निबंध संग्रहों में प्रकाशित हुए हैं। शोध एवं समीक्षा में उनका विशेष दखल था। मध्यकालीन और आधुनिक साहित्य के वे अच्छे ज्ञाता थे। अवधी साहित्य, संस्कृति और कला के अनुशीलन में उनका विशिष्ट योगदान है।

डॉ० त्रिपाठी यशस्वी शिक्षक, विद्वान, विचारक और लेखक तो थे ही , परन्तु उन सबसे ऊपर वे एक श्रेष्ठ इंसान थे। उनकी इंसानियत के ढेरों किस्से हैं जिससे वे लोकप्रिय हुए। साहित्य साधना और लोकाराधना का ऐसा दुर्लभ संयोग बहुत विरल है ।

डॉ त्रिपाठी ने शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में जो रचनात्मक भूमिका निभाई है उनके लिए वह हमेशा याद किए जाएंगे। उन्होंने जितना लिखा और जैसा जीवन जिया, वह अर्थपूर्ण एवं प्रेरणादायी है।